न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 04/2024(पुरानी–32/2022)
प्रविष्टि दिनांकः– 13.03.2024(पुरानी–01.06.2022)
निर्णय दिनांक :– 27.11.2024

::–उनवान–::

1. श्री मदन लाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स कनोई ट्रेडर्स कॉ–ऑपरेटिव बैंक के सामने बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी राज0। निवासी वार्ड नं0 2 कॉ–ऑपरेटिव बैंक के सामने बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी राज0।

2. श्री संभव जैन, पुत्र श्री त्रिलोक जैन प्रोपरायटर मैसर्स रोल टेक कॉरपोरेशन 11 विष्णु विहार, रीको धर्मकांटा के सामने, न्यू सांगानेर रोड़ जयपुर राज0। पिनकोड–302020 निवासी 239 सागर सेंकड गायत्री नगर बी, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर राज0।

– अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) अप्रार्थी सं0 2 संभव जैन।

::–निर्णय–:: **दिनांकः 27.11.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.01.2022 को समय 03:01 पीएम पर मैसर्स कनोई ट्रेडर्स कॉ–ऑपरेटिव बैंक के सामने बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी राज0 पर पहुंचा। वहां श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल निवासी निवासी वार्ड नं0 2 कॉ–ऑपरेटिव बैंक के सामने बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला केकड़ी राज0 पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले, मैदा, नमकीन–बिस्कट व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा तथा मौक पर खाद्य अनुज्ञा बिकी पत्र दिखाया।

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान गुड, तेल, घी, मसाले, मैदा, नमकीन–बिस्कट के साथ प्लास्टिक के एक कट्टे में 500–500 ग्राम के **मैदा (हीरा मोती ब्राण्ड)** के 30 नग पॉली पैक वास्ते आम जनता विकय हेतु रखे हुए थे। निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री

विमल कुमार अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में प्लास्टिक के एक कट्टे में 500–500 ग्राम के **मैदा (हीरा मोती ब्राण्ड)** के 30 नग पॉली पैक में से 4 नग मूल पैक प्रत्येक 500–500 ग्राम कुल 2 किग्रा. **मैदा (हीरा मोती ब्राण्ड)** जिसके बैच नं0 10 एवं पैकिंग की दिनांक 17.01.2022 थी को ज्यो का त्यों वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल को रू 57/– अक्षरे सत्तावन रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मैदा (हीरा मोती ब्राण्ड)** 500–500 ग्राम के 4 नग पॉली पैक ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड को लेकर, 4 नग पॉली पैक में से 500–500 ग्राम के एक–एक नग नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर **डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3046** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक सौरभ अग्रवाल तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3046 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने कारोबारकर्ता को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/707 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./531/एक्ट/2022/566 दिनांक 24.02.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **मैदा (हीरा मोती ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन की धारा 3(1)(zx)

के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मैदा (हीरा मोती ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (iii) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (iii) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 श्री सौरभ अग्रवाल व अप्रार्थी सं0 2 श्री संभव जैन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 1 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पाँच हजार रूपये) व अप्रार्थी सं0 2 पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पाँच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.11.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी